

**ग्राम पंचायत गगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016**

भाग—एक

1. (क) प्रस्तावना :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत गगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1.	श्री देवेन्द्र सिंह मनकोटिया	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्रीमति कविता देवी	23.1.2016 से 31.3.2016

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1.	श्री जगवीर सिंह	1.4.2013 से 13.8.2013
2.	श्री ओंकार चन्द	14.8.2013 से 12.10.2013
3.	श्री वीन सिंह	13.10.2013 से 29.5.2015
4.	श्री रणजीत सिंह	30.5.2015 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत गगवाल के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	पैरा अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6 खाता-ख से खाता-क में अर्जित ब्याज की राशि अन्तरित न करना	0.23

2.	10	अनुदानों को उपयोग न करना	4.30
3.	13	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना व्यय	6.83

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत गगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 22.7.2016 से 28.7.2016 तक पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 10/14, 9/15 व 12/13, 12/14, 3/16 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत गगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या : 123, दिनांक 1.8.2016 द्वारा सचिव पंचायत गगवाल से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत गगवाल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्रोत :-

ग्राम पंचायत गगवाल के अवधि 4/2013 से 3/2016 स्वयं स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	149132	441322	590454	281404	309050
2014-15	309050	1310873	1619923	851196	768727
2015-16	768727	2582343	3351070	2200889	1150181

(2) अनुदान :-

ग्राम पंचायत गगवाल के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-‘1’** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	314726	3250419	3565145	3297842	267303
2014-15	267303	1522028	1789331	1560224	229107
2015-16	229107	1763231	1992338	1562578	429760
दिनांक 31.3.2016 को स्व: स्रोत का अन्तशेष					₹1150181
दिनांक 31.3.2016 को अनुदानों का अन्तशेष					₹429760
योग					₹1579941

4. 1. बैंक समाधान विवरणी :-

31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण

क्र० सं०	अनुदान का नाम	खाता सं०/बैंक का नाम	राशि
1.	सभा निधि, इन्दिरा आवास योजना, 13वां वित्तायोग, TSC/NBA, RGAY,	20076007191 KCCB इन्दौरा	1299081
2.	आई०डब्ल्यू०एम०पी० IWMP	88160100000653 H.G.B. Hagwal	280860
3.	मनरेगा	88160100000653 H.G.B. Hagwal	शून्य
योग			₹1579941

अन्तशेष का विवरण

(क)	दिनांक 31.3.2016 वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	₹1579941
(ख)	दिनांक 31.3.2016 को बैंक में कुल जमा	₹1579941

5. रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या : 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-(क) के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम-3 में संहिता संख्या : 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-(ख) जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही का निर्माण किया गया, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता “क” व “ख” के अनुरूप रोकड़ वही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. खाता (ख) में अर्जित ₹0.23 लाख ब्याज की राशि को खाता (क) में अन्तरित न किया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष मास : जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता (ख) से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता (क) में आन्तरिक किया जाना अपेक्षित था, किन्तु बैंक खातों की जांच करने पर पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता (ख) से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे, जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता (क) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु नहीं किया गया है। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता (ख) के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता (क) में आन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्य वाही करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	निधि का नाम	2013-14 (₹)	2014-15 (₹)	2015-16 (₹)	कुल (₹)
1.	मनरेगा	2063	—	—	2063
2.	आई0डब्ल्यू0एम0पी0	12531	4206	4216	20953
IWMP					
	योग	₹14294	₹4206	₹4216	₹23016

7. वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstract) को तैयार न करने बारे :-

हि0प्र0 प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक आय तथा दूसरा भाग व्यय के लिए भागों में बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई, परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8. कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जांच में स्वस्त्रोत् गृहकर भू-राजस्व कर इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जांच में उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी, जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. पंचायत राजस्व ₹2.06 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹206396 लाख की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :-

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2007-08	21964	23054	23054	—	21964
2008-09 से	137234	115270	137234	—	137234
2012-13					
2013-14	160288	23054	160288	—	160288
2014-15	183342	23054	183342	—	183342

2. भू-राजस्व :-

भू-राजस्व की वसूली का कोई अभिलेख अंकक्षण हेतु नहीं करवाया गया व रोकड़ वही के अनुसार वर्ष 2007-08 से कोई भू-राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है।

3. शराब कर :-

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	—	105755	105755	105755	—
2014-15	—	217688	217688	217688	—

वर्ष 2015-16 में शराब कर के रूप में कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है।

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

10. अनुदान ₹4.30 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹429760 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11. अस्थाई अग्रिमों ₹1.50 लाख का समायोजन न करना :-

व्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि पंचायत के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु हि0प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम की राशियों का भुगतान किया गया था। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरन्त बाद अग्रिमों का समायोजन किया जाना अपेक्षित था, लेकिन परिशिष्ट-2 में दिए गए विवरणानुसार अस्थाई अग्रिमों के समायोजन हेतु उचित कार्रवाई न करने के कारण दिनांक 31.3.2016 तक ₹150000 के अस्थाई अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष थी;

इस प्रकार अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अस्थाई अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए।

12. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹21.00 लाख का अनियमित व्यय करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹2100000 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

13. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹6.83 लाख के स्टॉक, स्टोर का क्रय करना:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-4 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹683645 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया

जाना अनिवार्य था। अंकेंक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेंक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं०	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यो से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

15. प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेंक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16. विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक सहभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है। अतः निर्माण कार्यो का निष्पादन नियमानुसार समिति का गठन कर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

18. निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(2),17 /2016 खण्ड-1-5491-5494 दिनांक: 17.10.2016, शिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत**
1. सचिव, ग्राम पंचायत गगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला-17109 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 3. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा, स्थित धर्मशाला जिला कांगड़ा हि0 प्र0
 4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0

हस्ता /—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

परिशिष्ट "2"

ग्राम पंचायत गगवाल विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा पैरा संख्या : 11 में सन्दर्भित
दिनांक 31.3.2016 को अस्थाई अग्रिम समायोजन हेतु शेष

क्र० सं०	दिनांक	निधि का नाम	विवरण	राशि
1.	8.8.2015	वाटर शैड	शिव शंकर SHG	25000
2.	8.8.2015	—यथोपरि—	लखदाता पीर SHG	25000
3.	8.8.2015	—यथोपरि—	जीवन ज्योति SHG	25000
4.	8.8.2015	—यथोपरि—	जय दूर्गा SHG	25000
5.	8.8.2015	—यथोपरि—	नारी शक्ति SHG	25000
6.	8.8.2015	—यथोपरि—	साई शक्ति SHG	25000
जोड़				₹150000

परिशिष्ट "3"

ग्राम पंचायत गगवाल विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा पैरा संख्या : 12 में सदर्थित
निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना व्यय करना

क्र० सं०	निधि	कार्य का नाम	राशि
1.	समा	निर्माण रास्ता देवेन्द्र मनकोटिया राजेन्द्र मनकोटिया मोहिन्द्र मनकोटिया के घर तक	450000
2.	समा	चार दीवारी सरस्वती विद्या मंदिर हगवाल	200000
3.	समा	लेडीज बॉथ रूम हगवाल	150000
4.	मनरेगा	जीप सड़क मेन सड़क से एस०सी० मोहल्ला	500000
5.	मनरेगा	सुरक्षा दीवार नजदीक कुटवाली माता	300000
6.	मनरेगा	जीप सड़क वसन्त राज के घर से समराला मोहल्ला	500000
		योग	₹2100000

परिशिष्ट "4"

ग्राम पंचायत गगवाल विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा पैरा संख्या : 13 में सदर्थित
औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

क्र० सं०	निधि	वा० सं०/दिनांक	विवरण	राशि
1.	मनरेगा	<u>50</u> , 21.12.13	मै० अरविन्द फ़ुट नर्सरी भदरोया से खरीदे गए पौधों का भुगतान	45300
2.	मनरेगा	<u>51</u> , 21.12.13	—यथोपरि—	12100
3.	मनरेगा	<u>52</u> , 21.12.13	—यथोपरि—	15300
4.	मनरेगा	<u>53</u> , 21.12.13	—यथोपरि—	7390
5.	मनरेगा	<u>23</u> , 22.12.14	श्री रघुवीर सिंह द्वारा सप्लाई किए गए रेत, बजरी व पत्थर आदि का भुगतान	95200
6.	मनरेगा	<u>39</u> , 16.2.15	श्री अमरेश कुमार हगवाल द्वारा सप्लाई किए गए क्रशर का भुगतान	108000
7.	मनरेगा	<u>40 व 41</u> , 16.2.15	—यथोपरि— (रेत, बजरी व क्रशर)	80600
8.	मनरेगा	<u>42</u> , 16.5.15	श्री अमरेश कुमार हगवाल को किए गए शटरिंग व पानी के टैंक के किराये का भुगतान	21270
9.	IWMP	<u>9</u> , 21.12.13	मै० ठाकुर स्टोन क्रशर लोधवां सप्लाई किए गए पत्थर का भुगतान	50400
10.	IWMP	<u>10</u> , 21.12.13	—यथोपरि—	58800
11.	IWMP	<u>11</u> , 21.12.13	—यथोपरि—	31080
12.	सामान्य	<u>45</u> , 11.12.14	मै० ठाकुर स्टोन क्रशर द्वारा सप्लाई किए गए रेत व बजरी आदि का भुगतान	38400
13.	सामान्य	<u>46</u> , 11.12.14	श्री अमरेश कुमार शर्मा द्वारा दिए गए शटरिंग का किराये का भुगतान	12805
14.	सामान्य	<u>48</u> , 11.12.14	श्री अमरेश कुमार शर्मा द्वारा सप्लाई किए गए रेत व बजरी का भुगतान	32000
15.	सामान्य	<u>16</u> , 19.5.2015	मै० शर्मा एसोसिएट पंगना (मण्डी) से खरीद की सोलर लाईट का भुगतान	75000
			योग	₹683645